N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0107 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/06/2024 18:35 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 28/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 03/06/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 09:45 बजे **Time To (समय तक):** 12:42 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/06/2024 **Time (समय):** 17:15 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/06/2024 18:35:41 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 50 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KASBA BAANSUR ME KHATIYO KA MOHALLA, PATWAR HALKA SAAHPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NETRAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SADHU RAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1961 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	OSPUR, BAANSUR, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	OSPUR, BAANSUR, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ANIL KUMAR YADAV		पिता:SATYVEER YADAV	1. SHIVRAM KI DHAANI,UDHO KA BAAS,BAANSUR,कोटपूतली-बहरोड़,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 28-05-2024 को समय 09.45 ए.एम. पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर पर मन् उप अधीक्षक पुलिस, महेन्द्र कुमार के सम्मुख परिवादी श्री नेतराम पुत्र श्री साधूराम, जाति अहीर, उम्र 63 साल, निवासी ओसपुर, तहसील व थाना बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड मय अपने पोते श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रत्तीराम यादव, उम्र 20 साल, निवासी ओसपुर, तहसील व थाना बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड के उपस्थित होकर परिवादी श्री नेतराम ने एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आषय का प्रस्तुत किया कि " सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, ए0सी0बी0 अलवर विषयः- रिश्वतखोर पटवारी, पटवार हल्का शाहपुर त0 बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड को रिश्वत लेते हुए पकडवाने हेतु महोदय, निवेदन है कि मैं ग्राम ओसपुर तहसील बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड का रहने वाला हूँ मैंने व छोटे भाई श्री श्योराम ने हमारे बडे भाई भूपसिंह के पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू व पौत्र से हमारे गॉव में स्थित उनके हिस्से की जमीन खसरा नं0 364, 365, 418 कुल खसरे 3 रकबा 2.6100 हैक्टेयर में से 128/265 हिस्सा दिनांक 20.5.2024 को लिखे गये दस्तावेज हकत्याग के अनुसार मेरे व मेरे छोटे भाई श्योराम के पक्ष में हक त्याग करवाया है। जो उप पंजीयन बानसूर द्वारा दि0 21.5.2024 के पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 176 में पृष्ठ सं0 32 क्रम सं0 202403358101650 पर पंजीबद्ध किया गया है। उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज के अनुसार हक त्याग से प्राप्त भूमि का नामान्तकरण मेरे व मेरे भाई श्योराम के पक्ष में दर्ज करवाने हेतु हमारे पटवारी श्री अनिल कुमार यादव, पटवार हल्का शाहपुर से मैं व मेरा पोता मनोज कुमार मिला तो उसने मेरे व मेरे छोटे भाई के नाम से नामान्तकरण दर्ज करने की एवज में 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग की और हमारे से कहा कि आप खर्चा पानी के पैसे नही दोगे तो मैं आपका नामान्तकरण नही खोलूंगा हम रिश्वतखोर पटवारी पटवार हल्का शाहपुर त0 बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड को हमारे जायज काम नामान्तकरण खोलने की एवज में रिश्वत नही देना चाहते है तथा उसे रिश्वत लेते हुए को ACB से रंगे हाथ पकडवाना चाहते है कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। दिनांक 28.5.2024 हस्ता/- नेतराम यादव प्रार्थी नेतराम पुत्र श्री साधूराम जाति अहीर उम्र 63 साल निवासी ओसपुर त0 व थाना बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड मो0 " परिवादी श्री नेतराम द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी व परिवादी के पोते को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी व परिवादी के पोते से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री नेतराम ने प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मैंने व मेरे छोटे भाई श्योराम ने हमारे बडे भाई भूप सिंह के पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु व पौत्र से हमारे गॉव में स्थित उनके हिस्से की जमीन खसरा नं0 364, 365 व 418 कुल खसरे 3 रकबा 2.6100 हैक्टेयर में से 128/265 हिस्सा दिनांक 20.05.2024 को लिखे गये दस्तावेज हक त्याग के अनुसार मेरे व मेरे छोटे भाई श्योराम के पक्ष में हक त्याग करवाया है। जो उप पंजीयक बानसूर द्वारा दिनांक 21.05.2024 को पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्चया 176 में पृष्ठ संख्या 32 क्रम संख्या 202403358101650 पर पंजीबद्ध किया गया है। उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज के अनुसार हक त्याग से प्राप्त भूमि का नामान्तकरण मेरे व मेरे भाई श्योराम के पक्ष में दर्ज करवाने हेतु हमारे पटवारी श्री अनिल कुमार यादव, पटवार हल्का शाहपुर, तहसील बानसूर से मैं व मेरा पोता मनोज कुमार मिला तो उसने मेरे व मेरे छोटे भाई के नाम से नामान्तकरण दर्ज करने की एवज में 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग की और हमारे से कहा कि आप खर्चा-पानी के पैसे नही दोंगे तो मैं आपका नामान्तकरण नही खोलूंगा। हम रिश्वतखोर पटवारी श्री अनिल कुमार यादव, पटवार हल्का शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड को हमारे जायज काम नामान्तकरण खोलने की एवज में रिश्वत नही देना चाहते है तथा उसे रिश्वत लेते हुए को ए0सी0बी0 से रंगे हाथ पकडवाना चाहते है। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी व मेरे पोते मनोज कुमार की श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी पटवार हल्का शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड से कोई रंजिश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन-देन भी बकाया नही है। परिवादी श्री नेतराम ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। दौराने पूछताछ परिवादी श्री नेतराम द्वारा अपनी पहचान स्वरूप पेश किये गये अपने आधार कार्ड की एवं दिनांक 21.05.2024 के रजिस्टर्ड हक त्याग दस्तावेज की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित छायाप्रति को बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली किया गया। परिवादी श्री नेतराम ने उनकी जमीन का नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिये श्री अनिल कुमार यादव पटवारी से पूर्व में उसके पोते श्री मनोज कुमार को भी उसके साथ मिलना, पटवारी द्वारा ज्यादातर रिश्वत की बाते खुलकर श्री मनोज कुमार से ही करना बताया। इसलिए उक्त कार्यवाही में

अपने पोते श्री मनोज कुमार को भी साथ रहने के लिये बताया। तत्पश्चात परिवादी के साथ आये उसके पोते श्री मनोज कुमार ने दरियाफ्त पर उक्त तथ्यों की ताईद करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र अपने दादाजी श्री नेतराम द्वारा लिखा जाना बताया तथा परिवादी के साथ उपस्थित श्री मनोज कुमार से कार्यवाही में परिवादी श्री नेतराम के साथ रहने की सहमती प्राप्त कर परिवादी श्री नेतराम द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र पर श्री मनोज कुमार के भी हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री मनोज कुमार की पहचान स्वरूप उसके आधार कार्ड की स्वयं हस्ताक्षरित छायाप्रति प्राप्त कर संलग्न कार्यवाही की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया जाने पर परिवादीगण को रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु अवगत करवाया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर परिवादी श्री नेतराम व परिवादी के पोते श्री मनोज कुमार को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर रिश्वती मांग का सत्यापन करवाने हेतु कहा तो परिवादी श्री नेतराम ने बताया कि श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी, पटवार हल्का शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड दो दिन कही बहार जाने की बोल रहा था, इसलिए आज उसके पास रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता करने के लिये जायेगे, तो वह कस्बा बानसूर में स्थित उसके किराये के कार्यालय पर नही मिल पायेगा। जब भी अगले कार्यदिवसों में वे श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी पटवार हल्का शाहपुर, तहसील बानसूर से रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता करने के लिये उसके किराये के कार्यालय बानसूर पर जायेगा, तब वे फोन कर बता देगें कि उन्हे बानसूर में लाकर कोई ए0सी0बी0 का आदमी डिजिटल वाईस रिकार्डर दे दे, उस समय वे श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी, पटवार हल्का शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड से बात करके रिश्वत मांग का सत्यापन करवा देगें। जिस पर श्री महेश कुमार कानि0 462 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री नेतराम व परिवादी के पोते श्री मनोज कुमार से परिचय करवाया जाकर उक्त तीनों के आपस में मोबाईल नम्बर दिलवाये गये तथा परिवादी श्री नेतराम व परिवादी के पोते श्री मनोज कुमार को हिदायत दी गई कि वे जब भी श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी, पटवार हल्का शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड के पास रिश्वत मांग सत्यापन के लिये जाये, तो उसकी सूचना से मन उप अधीक्षक पुलिस या उक्त कानि0 को अवगत करावे, ताकि रिश्वत मांग सत्यापन हेतु उन्हे बानसूर में डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया जा सकें। तत्पश्चात परिवादी श्री नेतराम व परिवादी के पोते श्री मनोज कुमार को गोपनीयता की हिदायत कर समय 11.15 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया। दिनांक 30.05.2024 को समय 09.15 ए. एम. पर श्री महेश कुमार कानि0 462 ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि उसकी परिवादी श्री नेतराम के पोते श्री मनोज कुमार से वार्ता हुई है और वे आज श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी, पटवार हल्का शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड से रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता करने हेतु उसके पास उसके किराये के कार्यालय बानसूर में जाने के लिये बताया है और उसने मुझे डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर कस्बा बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड बुलाया है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की आलमारी से ब्यूरों का विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर निकाल कर, उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर उसे खाली होना सुनिष्चित कर श्री महेश कुमार कानि0 462 को सुपुर्द कर निर्देषित किया गया कि वह परिवादीगण से सम्पर्क कर उसे बताये गये स्थान पर जाकर परिवादीगण से मिले तथा रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादीगण को डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादीगण के साथ पटवारी हल्का शाहपुर, तहसील बानसूर के पास जाकर परिवादीगण एवं संदिग्ध आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का एवं संदिग्ध आरोपी की पहचान करने का प्रयास करे तथा बाद सत्यापन कार्यवाही परिवादीगण को हमराह लेकर ब्यूरों कार्यालय उपस्थित आवे। श्री महेश कुमार कानि0 462 को मय डिजिटल वाईस रिकार्डर के वास्ते मांग सत्यापन कार्यवाही बजानिब बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 30.05.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु गया हुआ श्री महेश कुमार कानि0 462 समय 02.00 पी.एम. पर ब्यूरों कार्यालय, अलवर उपस्थित होकर डिजिटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु मय विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर के ब्यूरों कार्यालय अलवर से रवाना होकर समय करीब 11.00 ए0एम0 पर कस्बा बानसूर पहुंचा, जहाँ पर परिवादी श्री नेतराम व परिवादी का पोता श्री मनोज कुमार मौजूद मिले। परिवादी श्री नेतराम ने बताया कि पटवारी श्री अनिल कुमार यादव कस्बा बानसूर में स्थित अपने किराये के कार्यालय पर मौजूद है और श्री अनिल कुमार यादव पटवारी से श्री मनोज कुमार ही रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्तालाप करने के लिये जायेगा। क्योकि श्री अनिल कुमार पटवारी, श्री मनोज कुमार से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में खुलकर बात कर लेगा। इसके बाद समय करीब 11.05 ए0एम0 पर परिवादी श्री नेतराम के समक्ष परिवादी के पोते श्री मनोज कुमार को विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द किया एवं परिवादी के पोते श्री मनोज कुमार को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी पटवार हल्का शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड के पास कस्बा बानसूर स्थित उसके किराये के कार्यालय पर भिजवाया गया। परिवादी का पोता श्री मनोज कुमार संदिग्ध आरोपी श्री अनिल कुमार यादव पटवारी के खातियों के मौहल्ले में स्थित किराये के कार्यालय के अन्दर चला गया और मैं व परिवादी श्री नेतराम भी अपनी पहचान छुपाते हुये उक्त किराये के कार्यालय नजदीक जाकर कुछ दूरी पर अपनी उपस्थित छुपाते हुये खडे हो गये। समय

करीब 14-15 मिनट बाद परिवादी का पोता श्री मनोज कुमार, संदिग्ध आरोपी श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी के उक्त कार्यालय से बाहर निकल कर मेरे पास आया और परिवादी के पोते श्री मनोज कुमार ने डिजिटल वाईस रिकार्डर मुझे दे दिया जिसको मैंने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। तत्पश्चात परिवादी के पोते श्री मनोज कुमार ने परिवादी श्री नेतराम के समक्ष मुझे बताया कि मैं आपसे डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर उसे अपने साथ लेकर संदिग्ध आरोपी श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी पटवार हल्का शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड के पास, उसके किराये के कार्यालय पर गया, जहा पर श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी अपने उक्त कार्यालय में कागजों का काम करता हुआ मौजूद मिला, जिससे मैंने, हमारे नामान्तकरण खोलने के सम्बन्ध में वार्ता की तो उसने हमारे नामान्तकरण खोलने की एवज में मेरे से 10 हजार रू0 रिश्वत की मांग की और रिश्वत 10 हजार रू0 सोमवार दिनांक 03.06.2024 को लेने हेतु सहमत हो गया। मेरे व श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी पटवार हल्का शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड के मध्य हुई सभी वार्तालाप को मैंने डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। इसके बाद परिवादी श्री नेतराम ने मुझे बताया की उसके पास संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशी की व्यवस्था नही है और उसको बानसूर/अपने गॉव ही रूककर रिश्वत राशी की व्यवस्था करनी है तथा श्री मनोज कुमार की परीक्षा है। इसलिये आज वो अलवर नही चल सकते है तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु वो रिश्वत राशी 10 हजार रू0 की व्यवस्था होने पर दिनांक 03.06.2024 सोमवार या इससे पूर्व ब्यूरों कार्यालय अलवर में उपस्थित हो जायेगें और वो दोनों वही पर रूक गये। तत्पश्चात श्री महेश कुमार कानि0 462 द्वारा प्रस्तुत रिकार्डशुदा वार्ताओं के डिजिटल वाईस रिकार्डर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा चालू कर सुना गया। जिसमें संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी के पोते श्री मनोज कुमार से उनके हक त्याग के नामान्तकरण खोलने की एवज में 10 हजार रू0 रिश्वत की मांग करना पाया गया। उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रीप्ट व सीडी तैयार करने की कार्यवाही परिवादीगण के ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आने पर दो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में पृथक से की जावेगी। उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं के डिजिटल वाईस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित हालात में कार्यालय की आलमारी के लॉक में रखा गया। दिनांक 02.06.2024 को समय 09.00 ए.एम. पर परिवादीगण श्री नेतराम एवं श्री मनोज कुमार, ए0सी0बी0 कार्यालय में उपस्थित आये तथा परिवादी श्री नेतराम के समक्ष परिवादी के पोते श्री मनोज कुमार ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि दिनांक 30.05.2024 को समय करीब 11.00 ए0एम0 पर मैं व मेरे दादाजी श्री नेतराम आपके कार्यालय के कर्मचारी श्री महेश कुमार को कस्बा बानसूर में मौजूद मिले। इसके बाद श्री महेश कुमार कानि0 ए0सी0बी अलवर ने समय करीब 11.05 ए0एम0 पर मेरे दादाजी के समक्ष मेरे को ए0सी0बी0 का विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द किया एवं मुझे रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी पटवार हल्का शाहपुर, तहसील बानसूर के पास कस्बा बानसूर में खातियों के मौहल्ले में स्थित उसके किराये के कार्यालय पर भिजवाया गया। जिस पर मैं श्री महेश कुमार कानि0 से डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर उसे अपने साथ लेकर संदिग्ध आरोपी श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी पटवार हल्का शाहपुर, तहसील बानसूर के पास, उसके किराये के कार्यालय पर गया, जहा पर श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी अपने उक्त कार्यालय में कागजों का काम करता हुआ मौजूद मिला, जिससे मैंने हमारे नामान्तकरण खोलने के सम्बन्ध में वार्ता की तो उसने मेरे से हमारे हक त्याग का नामान्तकरण खोलने की एवज में 10 हजार रू0 रिश्वत की मांग की और वह मेरे से 10 हजार रू0 रिश्वत के सोमवार दिनांक 03.06.2024 को लेने हेतु सहमत हो गया। मेरे व श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी, पटवार हल्का शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड के मध्य हुई सभी वार्तालाप को मैंने डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। इसके बाद मैं संदिग्ध आरोपी श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी के उक्त कार्यालय से बाहर निकल कर ए0सी0बी0 के श्री महेश कुमार कानि0 के पास आया और मैंने डिजिटल वाईस रिकार्डर मेरे दादाजी श्री नेतराम के समक्ष ए0सी0बी0 के श्री महेश कुमार कानि0 को दे दिया था, जिसको श्री महेश कुमार कानि0 ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था और उक्त तथ्य मैंने मेरे दादाजी श्री नेतराम के समक्ष श्री महेश कुमार कानि0 को बताया दिये थे। इसके बाद मेरे दादाजी श्री नेतराम ने श्री महेश कुमार कानि0 को बताया की उसके पास संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशी की व्यवस्था नही है और उसको बानसूर/अपने गॉव ही रूककर रिश्वत राशी की व्यवस्था करनी है तथा श्री मेरी परीक्षा है। इसलिये हम, आपके साथ अलवर नही चल सकते तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु रिश्वत राशी 10 हजार रू0 की व्यवस्था होने पर दिनांक 03.06.2024 सोमवार या इससे पूर्व ब्यूरों कार्यालय अलवर में उपस्थित हो जायेगें और हम दोनों वही पर रूक गये। आज मैं अपने दादाजी श्री नेतराम के साथ संदिग्ध आरोपी श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी, पटवार हल्का शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड को रिश्वत में दी जाने वाली राशी 10,000 रू0 अपने साथ लेकर आया हूँ। तत्पश्चात परिवादीगण को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस ने पूर्व से पाबन्दशुदा गवाह श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ सहायक एवं श्री लोकेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ सहायक, वृत्त-स, वाणिज्यिक कर विभाग अलवर को अविलम्ब ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आने हेतु जरिये दूरभाष तलब करने पर उक्त दोनों गवाह समय 10.00 ए.एम. पर ब्यूरों कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये। मन उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त दोनो गवाहान एवं कार्यालय में मौजूद परिवादी श्री नेतराम एवं परिवादी के पोते श्री मनोज कुमार का आपसी परिचय करवाया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री नेतराम द्वारा दिनांक 28.05.2024 को ब्यूरों में

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर उनसे कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त कर उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दिनांक 02.06.2024 को समय 10.20 ए0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस, गवाह श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ सहायक एवं श्री लोकेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री नेतराम, परिवादी के पोते श्री मनोज कुमार के समक्ष परिवादी के पोते श्री मनोज कुमार एवं संदिग्ध आरोपी श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी, पटवार हल्का, शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड के मध्य दिनांक 30.05.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी का लॉक खोलकर बाहर निकालकर उसे विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी एवं परिवादी के पोते श्री मनोज कुमार द्वारा अपनी (मनोज कुमार की) आवाज की व संदिग्ध आरोपी श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी, पटवार हल्का, शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की परिवादीगण के बतायेनुसार हिन्दी रूपान्तरण किया गया तथा उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी व परिवादी के पोते मनोज कुमार ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमषः तीनों सीडीयों पर मार्क "ए-1", मार्क "ए-2" एवं मार्क "ए-3" अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री नेतराम व परिवादी के पोते श्री मनोज कुमार के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क "ए-1" व मार्क "ए-2" को पृथक-पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपडे़ की थैलीयों में पृथक-पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क "ए-1" व मार्क "ए-2" अंकित कर गवाहान एवं परिवादी व परिवादी के पोते के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क " ए-3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छाट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती सीडी रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 02.06.2024 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई तथा सिल्डशुदा सीडी मार्क ए-1 व ए-2 को मालखाना प्रभारी श्री हरीश चन्द शर्मा, कानि0 503 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात समय 01.00 पी0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी श्री नेतराम एवं परिवादी के पोते श्री मनोज कुमार को संदिग्ध आरोपी श्री अनिल कुमार यादव पटावारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशी 10 हजार रू0 अपने साथ लेकर दिनांक 03.06.2024 को समय 09.00 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय अलवर में उपस्थित होने एवं गोपनीयता बनाये रखने तथा दोनों गवाहान को गोपनीयता बनाये रखने एवं दिनांक 03.06.2024 को समय 09.00 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय अलवर से रवाना किया गया। दिनांक 03.06.2024 को समय 09.00 ए0एम0 पर पाबन्दशुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मनोज कुमार वरिष्ठ सहायक व श्री लोकेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ सहायक एवं समय 09.15 ए0एम0 पर परिवादीगण श्री नेतराम एवं मनोज कुमार ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये तथा परिवादीगण ने मन उप अधीक्षक पुलिस को आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशी 10 हजार रू0 अपने साथ लाना बताया। तत्पश्चात समय 09.30 ए0एम0 पर दोनों गवाहान के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादीगण को सिंदग्ध आरोपी श्री अनिल कुमार, पटवारी, पटवार हल्का शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी श्री नेतराम के समक्ष परिवादी के पोते श्री मनोज कुमार ने अपने पास से 20 नोट 500-500 रूपये के कुल 10000/-रूपये निकाल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर को पेश किया। उक्त नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर उक्त नोटों के नम्बर मन् उप अधीक्षक पुलिस एवं उपरोक्त गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटां के नम्बरों का मिलान सही होना पाया गया। श्री रामसिंह कानि0 549 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 10,000/-रूपये के नोटो को रखकर उक्त नोटों पर श्री रामसिंह कानि0 549 से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री मनोज कुमार की जामा तलाशी गवाह श्री लोकेश कुमार वर्मा से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नम्बरी नोट 10,000/- रूपये श्री रामसिंह कानि0 549 से परिवादी श्री मनोज कुमार की पहनी हुई पेन्ट की बगल की बांयी जेब में रखवाये गये। श्री रामसिंह कानि0 549 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात एक फ्रेष डिस्पोजल गिलास में श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री रामसिंह कानि0 549 की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी श्री मनोज कुमार, श्री नेतराम व दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी

उक्त पाऊडर लगे नोटां को छुयेगा तो उसके हाथां में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को अपने हाथां से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री मनोज कुमार व श्री नेतराम को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर सिर पर हाथ फेर कर या मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें। तत्पश्चात श्री रामसिंह कानि0 549 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादीगण, गवाहान एवं टै्रप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा टै्रपबाक्स में रखी खाली शीशीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री मनोज कुमार को रिश्वत राशी लेन-देन के समय आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 30.05.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की रिकार्डशुदा वार्ताओं का एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगा हुआ है, को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी श्री मनोज कुमार की शर्ट की सामने की बांयी जेब में रखकर सुपुर्द किया गया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 को आवश्यक हिदायत दी गई कि उक्त परिवादी को रिश्वत राशी सहित आरोपी के पास भिजवाते समय उसको ब्यूरों के उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू करके ही रवाना करने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय 11.00 ए0एम0 पर उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मनोज कुमार व श्री लोकेश कुमार वर्मा एवं ए0सी0बी0 जाप्ता सर्वश्री श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, भास्कर हैड कानि0 59, श्री रामजीत कानि0 206, श्री हरिश चन्द शर्मा कानि0 503 एवं श्रीमती सुनिता महिला हैड कानि0 148, श्री इन्द्रजीत कानि0 चालक 333 मय विभागीय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप मय प्रिन्टर व आवश्यक स्टेशनरी सामान के दो प्राईवेट वाहनों के तथा परिवादी श्री नेतराम, श्री मनोज कुमार व श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी की कार से हमराह लेकर वास्ते ट्रैप कार्यवाही ब्यूरों कार्यालय अलवर से रवाना होकर समय 12.10 पी0एम0 पर कस्बा बानसूर में तहसील कार्यालय के पास पहुंचा, जहॉ पर तीनों वाहनों को साईड में खडा करवाकर सभी को वाहनों से उतार कर मन उप अधीक्षक पुलिस ने समय 12.15 पी0एम0 श्री महेश कुमार कानि0 462 से परिवादी मनोज कुमार का टेपरिकार्डर चालू करवाकर परिवादी मनोज कुमार व श्री नेतराम को आरोपी श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी, पटवार हल्का, शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड के पास उसके किराये के कार्यालय/कमरे के लिये रवाना किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेपपार्टी सदस्यों के आरोपी श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी के किराये के कार्यालय/कमरे के आप-पास मौका अनुसार गलियों अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादीगण के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। तत्पश्चात समय 12.42 पी.एम. पर परिवादी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रतीराम उम्र 20 साल जाति अहीर निवासी गॉव ओसपुर तहसील व थाना बानसूरा जिला कोटपूतली - बहरोड ने आरोपी पटवारी के पटवार हल्का शाहपुर कार्यालय स्थित बानसूर/किराये के कमरे से बाहर निकलकर मन उप अधीक्षक पुलिस को सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत स्वीकृती का निर्धारित ईशारा किया जिसे मन पुलिस उप अधीक्षक एवं गवाहान व समस्त ट्रेप पार्टी द्वारा देखा गया। तत्पश्चात मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों को लेकर परिवादी के पास उक्त किराये के कमरे पर मैनगेट पर पहुंचा तथा परिवादी से उसे सुपुर्द शुदा विभागीय वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा गया, तत्पश्चात परिवादी ने गवाहान के सामने मन पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैने और मेरे दादा श्री नेतराम जी आपके निर्देशानुसार आरोपी पटवारी श्री अनिल कुमार यादव के पास उसके कार्यालय पटवार हल्का शाहपुर/ किराये के कमरे के लिये रवाना हुये डिप्टी कार्यालय के पास मेरे चाचा अजय पुत्र श्यौराम हमे मिल गया। जिसे हम साथ लेकर हम पटवारी के पास कस्बा बानसूर स्थित किराये के कमरे/पटवार कार्यालय के पास आये जहां पर मेरे दादाजी कमरे के बाहर रूक गये और हम दोनो उक्त कमरे में पटवारी के पास गये तो पटवारी श्री अनिल कुमार उपस्थित नही मिले। हम दोनो ने वही पर रूक कर पटवारी का इन्तजार किया, कुछ समय पश्चात पटवारी जी उक्त किराये के कमरे मे आ गये जिससे मैने राम राम की कुछ देर बाद ही पटवारी जी अपनी सीट से उठकर उक्त कमरे के बाहर आकर मुझे मेरा नाम लेकर व ईशारा कर उक्त कमरे के बाहर बुलाया इस पर मै और मेरे चाचा अजय उक्त कमरे से बाहर गली मे पटवारी के पास आये तो तो चाचा अजय ने पटवारी से हमारे इन्तकाल के बारे मे बोला तो पटवारी जी ने कहा बता तो दिया तेरे को दस हजार दो तब मेरे चाचा अजय ने मुझे बोला की पटवारी जी को दस हजार रूपये दे दो, इस पर मैने पटवारी से कुछ कम करने के लिये कहा तो पटवारी ने कहा तुझे पहले बता दिया था दस लगगे। इस पर मैने पटवारी अनिल कुमार के मांगने पर मैने अपनी पेन्ट दाहिनी साईड की जेब से पाउडर युक्त दस हजार रूपये की राशि जेब से निकालकर पटवारी अनिल कुमार को निकालकर दी तो उसने उक्त पाउडर युक्त रिश्वति राशि अपने दाहिने हाथ से लेकर व दोनो हाथो गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट से पर्स निकालकर उक्त राशि पर्स में रख अपनी पहनी हुई पेन्ट की पिछली दाहिनी जेंब में रख ली फिर हमने पटवारी जी से हमारे इन्तकाल के बारे में पूछा तो कहा की आपका इन्तकाल आज तहसील में जाकर चढा दिया है सात दिन का समय लगेगा सात दिन बाद आपका इन्तकाल खुल जायेगा। उसके बाद पटवारी

अपने उक्त किराये के कमरे में चला गया और अभी वो अन्दर ही बैठा हुआ है। परिवादी ने अपने पास खडे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया की यह मेरे चाचा श्री अजय पुत्र श्योराम है मैने इनके सामने ही अनिल कुमार पटवारी से सभी बाते की है। इस पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय गवाहान एवं पार्टी सदस्यों एवं परिवादी को हमराह लेकर उक्त कमरे के अन्दर प्रवेंश किया तो उक्त कमरे के अन्दर से एक व्यक्ति पेन्ट शर्ट पहने कुर्सी एवं टेबिल पर बैठा हुआ दिखा जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि ये ही अनिल कुमार पटवारी है। जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो वह घबराकर कुर्सी से खडा हो गया और कुछ नही बोला इस मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उसे तसल्ली देकर कुर्सी पर बैठाकर पुनः पुछा तो उसने अपना अनिल कुमार पुत्र श्री सत्यवीर जाति अहीर उम्र 29 साल निवासी उधो का बास, रतनपुरा तहसील बानूसर जिला कोटपूतली - बहरोड हाल पटवारी पटवार हल्का शाहपुर तहसील बानसूर जिला कोटपूतली- बहरोड होना बताया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से प्राप्त की गई 10000/- रूपये रिश्वत राशी कहा है और किस काम के लिये प्राप्त करने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि-मनोज दिनांक 22.05.2024 को इसके दादाजी नेतराम व श्योराम के नाम से एक मूल रजिस्टर्ड हक त्याग दस्तावेज को इन्तकाल खोलने के लिये मुझे दिया था। उक्त का इन्तकाल खोलने के लिये आज मनोज व इसका चाचा अजय मेरे पास आये और इन्होने जबरदस्ती मुझे 10000/-दे दिये जो मैने अपनी पहनी हुई पेन्ट की पिछली दाहिनी साईड के जेब में रखे हुये पर्स में रख लिये जो अभी मेरे पास ही है। मैने इनसे कोई रिश्वत की मांग नही की इस पर मौके पर मौजूद परिवादी मनोज से आरोपी द्वारा लिये गये उपरोक्त बचाव के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो परिवादी ने आरोपी अनिल के कथनों को झूठा एवं निराधार बताते हुये बताया कि दिनांक 22.05.2024 को मैने हमारे हक त्याग के दस्तावेज पटवारी जी को इन्तकाल खोलने के लिये दिये थे। इनके द्वारा इन्तकाल खोलने के लिये मेरे से 10000/- रूपये रिश्वत के मांगने पर मै व मेरे दादाजी ने आपको लिखित में हस्तलिखित शिकायत दी थी जिस पर आप द्वारा दिनांक 30.05.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाई गई थी, आज आपके निर्देशानुसार आरोपी पटवारी श्री अनिल कुमार यादव के पास उसके कार्यालस पटवार हल्का शाहपुर कार्यालय कस्बा बानसूर स्थित किराये के कमरे के लिये रवाना हुये, डिप्टी कार्यालय बानसूर के पास मेरे चाचा अजय पुत्र श्री श्योराम हमे मिल गया। जिसके साथ हम पटवारी के किराये के कमरे /पटवार कार्यालय के पास आये। जहां पर मेरे दादाजी कमरे के बाहर रूक गये और मै एवं मेरे चाचा श्री अजय जो वही पर हमे मौजूद मिला था तथा मैने अपने चाचा अजय के साथ पटवारी श्री अनिल कुमार को रिश्वत राशि देने हेतु साथ रखने का निर्णय लिया था। हम दोनो पटवारी श्री अनिल कुमार के कमरे/पटवार कार्यालय मे गये तो उस समय पटवारी साहब उपस्थित नही मिला। हम दोनो ने वही पर रूक कर पटवारी का इन्तजार किया, कुछ समय पश्चात पटवारी जी उक्त किराये के कमरे/पटवार कार्यालय मे आकर अपनी सीट पर बैठ गये जिससे मैने राम राम की कुछ देर बाद ही पटवारी जी अपनी सीट से उठकर उक्त कमरे के बाहर आकर मुझे मेरा नाम लेकर व ईशारा कर उक्त कमरे के बाहर बुलाया इस पर मै और मेरे चाचा अजय उक्त कमरे से बाहर गली मे पटवारी के पास आये तो तो चाचा अजय ने पटवारी से हमारे इन्तकाल के बारे मे बोला तो पटवारी जी ने कहा बता तो दिया तेरे को दस हजार दो तब मेरे चाचा अजय ने मुझे बोला की पटवारी जी को दस हजार रूपये दे दो, इस पर मैने पटवारी से कुछ कम करने के लिये कहा तो पटवारी ने कहा तुझे पहले बता दिया था दस लगेंगे। इस पर मैने पटवारी अनिल कुमार के मांगने पर मैने अपनी पेन्ट दाहिनी साईड की जेब से पाउडर युक्त दस हजार रूपये की राशि जेब से निकालकर पटवारी अनिल कुमार को दे दी तो उसने उक्त पाउडर युक्त रिश्वति राशि अपने दाहिने हाथ से लेकर व दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब से पर्स निकालकर उक्त राशि अपने पर्स में रखकर पर्स को अपनी पहनी हुई पेन्ट की पिछली दाहिनी जेंब में रख लिया, फिर हमने पटवारी जी से हमारे इन्तकाल के बारे में पूछा तो कहा की आपका इन्तकाल दिनांक 27 तारीख को चढेगा इन्तकाल अभी लॉक नही हुआ है, लास्ट दस तारीख तक हो जायेगा। तत्पश्चात अजय द्वारा पटवारी जी से पूछा की कितने पैसे बताये थे फिर मैने भी पूछा कितने पैसे फिर पटवारी जी ने कहा दस फिर अजय ने कहा पूरे ही दस फिर पटवारी के मांगने पर मैने उसको दस हजार रूपये दे दिये। इसके बाद पटवारी अपने उक्त कमरे के अन्दर चला गया और मैने आपको ईशार कर दिया। इस पर मन उप अधीक्ष पुलिस ने आरोपी से पुनः पूछा जब परिवादी ने आपको जबरदस्ती रिश्वति राशि दी तो आपने इनका विरोध क्यों नही किया और उक्त रिश्वति राशि आपके पर्स में कैसे आ गई। जिस पर आरोपी कुछ नही बोला और चुप चाप बैठा रहा। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक द्वारा उक्त कमरे में रखे कैम्पर से साफ पानी एक प्लास्टिक की बोतल में भरवाकर श्री रामजीत कानि. नम्बर 206 से मंगवाया गया। ट्रैप बाक्स से दो साफ नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों को निकालकर उन्हे उक्त साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त गिलासो मे से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री अनिल कुमार यादव पटवारी पटवार हल्का शाहपुर तहसील व थाना बानसूर जिला व तहसील कोटपूतली -बहरोड के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयो में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के

हस्ताक्षर कराकर मार्क R -1, R -2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास का धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L -1, L - 2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद गवाह लोकेश से आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी की जामा तलाशी लिवाई तो आरोपी अनिल कुमार की पहनी हुई पेन्ट की पिछली दाहिनी जेब में पर्स बरंग ब्राउन मिला तो उक्त पर्स को पेन्ट की जेब से बाहर निकलावकर पर्स को चैक करवाया गया तो पर्स के अन्दर 500-500 के कुछ नोट होना बताया तो उक्त नोटो को गवाह लोकेश से बाहर निकलवाकर गिनने व पहचान बाबत दोनो गवाहन से करवाई गई तो दोनो गवाहन ने उक्त बरामद शुदा 500-500 के कुल 20 नोट कुल 10000/-रूपये होना पाये जाने पर उक्त राशि के सभी नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मुर्तिब शुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरो से हुबहू होना बताया। बरामद शुदा नोटो का विवरण फर्द बरामदगी में अंकित किया जाकर उक्त बरामद शुदा 10,000 रूपये के नोटो के नम्बरो का उपरोक्त नम्बरो से पुनः मिलान करवाकर उक्त नम्बरी नोटो को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे मे रखकर उक्त लिफाफे पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त रिश्वती राशि के लिफाफे को एक सफदे कपडे की थैली मे रखकर उस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क ज्ड अंकित कर एवं सीलचिट कर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात ट्रैप बाक्स मे से एक फ्रेश प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाया जाकर उसे साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त गिलास मे साफ पानी भरकर उसमे सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर उसका घोल तैयार करवाया गया एवं उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात आरोपी अनिल कुमार पटवारी की पहनी हुई पेन्ट जिसकी पिछली दाहिनी जेब से बरामद शुदा पर्स जिसमें से रिश्वति राशि बरामद हुई है, पर्स के उस स्थान को एक साफ नई रूई के फौव से रगडकर पर्स के उक्त स्थान का धौवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे हाजरीन ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क P1 o P2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त पर्स के अन्दर के हिस्से को अच्छी तरह से धुप मे सुखाकर उक्त पर्स में एक सफेद कागज की चीट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पर्स में रख जाकर उक्त पर्स को एक कपडे की थैली मे सुरक्षित रखवाकर उस थैली पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सील कर मार्क P से चिन्हित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया एवं उक्त रूई के फोवे के सुखाकर माचीस की डिब्बी मे रखकर उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर उक्त थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली को सील मोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो उसमे रिश्वत राशि लेन-देन के समय की वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाई गई जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं सी.डी. तैयार करने की कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। परिवादी श्री मनोज एवं श्री नेतराम व आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी, पटवार हल्का शाहपुर तहसील व थाना बानसूर जिला कोटपूतली तिजारा को एक साथ करके आपस मे कोई रूपयो का पुराना उधार का लेन देन तो बकाया होने या कोई आपसी रंजिश होने के बारे में पूछा गया तो दोनो ने आपसी रंजिश या रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने से स्पष्ट मना किया। उक्त किराये का कमरा कस्बा बानूसर मे तहसील कार्यालय के पास बाजार से लगती हुई आवासीय कॉलानी (मोहल्ला) मे होने से ट्रेप कार्यवाही की जानकारी होने पर मौहल्ले एवं अन्य कास्तकारो की भारी भीड उक्त कमरे के आगे रोड पर हो जाने से कार्यवाही करने में असुविधा व विघ्न की संम्भावनाओं के मध्य नजर अग्रिम कार्यवाही एसीबी कार्यालय अलवर पर करने का निर्णय लेते हुए आरोपी से ट्रेप से परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेजो के बारे में आरोपी पटवारी से परिवादी के उक्त हक त्याग से संबंधित कागजातो के बारे में पूछा तो आरोपी अनिल कुमार पटवारी ने उक्त कमरे में रखी अपनी टेबिल की की दराज से परिवादी से संबंधित मूल दस्तावेज पेश किये जिनकां बाद अवलोकन गवाह श्री लोकश कुमार के पास सुरक्षित रखवाकर अब तक की गई कार्यवाही से संबंधित वजह सबूत शील्डशुदा आर्टिक्लस/प्रदर्श को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप पार्टी, एवं दोनो गवाहान व परिवादी श्री नेतराम व सपरिवादी श्री मनोज एवं परिवादी के भाई के लडके श्री अजय एवं निरूद्ध शुदा आरोपी श्री अनिल कुमार यादव पटवारी को हमराह लेकय मय ट्रेप बॉक्स, प्रिन्टर आदि एवं जप्शुदा ऑर्टिक्लस के वक्त 02.05 कस्बा बानसूर से जरिये दो प्राईवेट वाहनो से अग्रिम कार्यवाही हेतु मौका से एसीबी कार्यालय अलवर के लिये रवाना होकर समय 03.00 पी0एम0 पर उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप पार्टी, एवं दोनो गवाहान व परिवादी श्री नेतराम व सपरिवादी श्री मनोज एवं परिवादी के भाई के लडके श्री अजय कुमार एवं आरोपी श्री अनिल कुमार यादव पटवारी को हमराह लेकय मय ट्रेप बॉक्स, प्रिन्टर आदि एवं जप्शुदा ऑर्टिक्लस के एसीबी चौकी अलवर प्रथम पर पहूंचकर वाहनो को कार्यालय में खडा करवाया गया। ट्रेप पार्टी, एवं दोनो गवाहान व परिवादी श्री नेतराम व सपरिवादी श्री मनोज एवं परिवादी के भाई को लडके श्री अजय एवं आरोपी श्री अनिल कुमार यादव पटवारी को कार्यालय में शालीनता से बैठाया गया तथा जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स के कार्यालय में निगरानी में रखवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही शुरू की

गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी अनिल कुमार पटवारी ने उक्त कमरे में रखी अपनी टेबिल की दराज से परिवादी से संबंधित मूल दस्तावेज आरोपी द्वारा पेश किये जाने पर बाद अवलोकन गवाह श्री लोकश कुमार के पास सुरक्षित रखवाये गये उक्त मूल दस्तावेज के संबंध में एवं परिवादी के नामान्तरण के बारे मे आरोपी श्री अनिल कुमार पटवारी से पूछने पर बताया की इन्तकाल कार्य के लिये मूल दस्तावेज राजस्व विभाग की एसएसओ आईडी पर आवश्यकता होती है। मेरे द्वारा उक्त दस्तावेजो का आज दिनांक 3.6.2024 को तहसील बानसूर में विभाग आरपीजी की एसएसओ आई डी पर आरपीजी प्रभारी श्रीमती सुनीता मीणा पटवारी से नामान्तरण दर्ज करवा दिया गया है। जिसका नामान्तरण संख्या 381 दिनांक 3.6.2024 जिसका मेरे द्वारा उक्त दस्तावेज के प्रथम पृष्ठ जमाबन्दी पर अंकन नीली स्हायी से किया गया है। जिसकी आरपीजी प्रभारी द्वारा उक्त नामांतरण को मेरी एसएसओ आईडी पर फारवर्ड करने पर मै अपनी टिप्पणी के साथ तहसीलदार साहब को नामान्तरण लॉक करने के लिये फारवर्ड करता इसके बाद तहसीलदार साहब के लॉक करने पर नामान्तरण इनके नाम दर्ज हो जायेगा। मूल दस्तावेज परिवादी कार्य बाधित नही हो इसलिये उक्त मूल दस्तावेजात की एसीबी कार्यालय में फोटो काफी करवाई जाकर फोटो प्रति पर संबधितो के हस्ताक्षर कर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया एवं मूल दस्तावेज आईन्दा तहसीलदार बानसूर को लौटाये जावेगे। संबंधितो के हस्ताक्षर युक्त जप्त किये गये रिकॉर्ड की छाया प्रति का विवरण निम्न प्रकार है। कुल दस्तावेज 01 लगायत 06 है जिसमें 1. प्रथम पृष्ठ पर पटवार हल्का शाहपुर, ग्राम ओसपुर, के खसरा नम्बर 364, 365 व 418 की जमाबन्दी जिसके उपर नीली स्याही से 381/3.6.2024 अंकित किया हुआ है। पृष्ठ संख्या 2 पर उप पंजीयन बानसूर की दिनांक 21.05.2024 की रसीद है। जिस पर 79653 रूपये राशि अंकित है। पृष्ठ संख्या 3-7 दस्तावेज हक त्याग दिनांक 20.05.2024 जो श्रीमती विधा देवी पत्नी भूप सिंह, श्रीमती उषा पुत्री श्री भूपसिंह, श्री सुनील कुमार पुत्र भूपसिंह, प्रवीण कुमारी पुत्र वधू श्री भूपसिह, नाबालिग प्रणय पौत्र श्री भूपसिंह के द्वारा श्री नेतराम व श्री श्यौराम पुत्र श्री साधूराम जाति अहीर निवासी ओसपुर तहसील बानसूर जिला कोटपूतली -बहरोड के पक्ष में हक त्याग किया गया जो उप पंजीयन बानसूर के यहां दिनांक 21.05.2024 का पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 03.06.2024 को समय 08.00 पी0एम0 पर आरोपी श्री अनिल कुमार यादव पुत्र श्री सत्यवीर यादव, जाति अहीर, उम्र 29 साल, निवासी षिवराम की ढाणी, उधों का बास, तहसील व थाना बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड, हाल पटवारी, पटवार हल्का, शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 09.00 ए0एम0 पर दोनों गवाहान एवं परिवादीगण के समक्ष परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज तहसीलदार बानसूर के पत्रांक 3105 दिनांक 03.06.2024 के संलग्न ग्राम ओसपुर के प्रक्रियाधीन नामान्तकरणों की ऑन लाईन प्रति (प्रिन्ट), जिसमें परिवादी से सम्बन्धित नामान्तकरण संख्या 381 हकत्याग दिनांक 03.06.2024 (381) का भी उल्लेख है, जो पटवारी स्तर पर लम्बित है तथा परिवादी से सम्बन्धित नामान्तकरण संख्या 381 दिनांक 03.06.2024 के नामान्तकरण प्रपत्र (प-21) की सत्यापित प्रति श्री कृष्ण कुमार यादव, हल्का पटवारी, माजरा ढाकोडा, तहसील बानसूर ने ब्यूरों कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया उक्त दस्तावेजों पर दोनों गवाहान एवं परिवादीगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर संलग्न पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 09.30 पी0एम0 पर गवाह श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ सहायक एवं श्री लोकेश वर्मा, वरिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री नेतराम, श्री मनोज कुमार व परिवादी के भतिजा श्री अजय कुमार के समक्ष परिवादी श्री मनोज कुमार एवं आरोपी श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी पटवार हल्का शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड के मध्य दिनांक 03.06.2024 को रिश्वत रिश्वत लेन-देन के समय हुई रूबरू वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री मनोज कुमार, श्री नेतराम व अजय कुमार द्वारा अपनी-अपनी (मनोज कुमार की, श्री अजय कुमार की), आवाज की व आरोपी श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी पटवार हल्का शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की परिवादीगण के बतायेनुसार हिन्दी रूपान्तरण किया गया तथा उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी श्री मनोज कुमार, श्री नेतराम व श्री अजय कुमार ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः तीनों सीडीयों पर मार्क " बी-1" मार्क " बी-2" एवं मार्क " बी-3" अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री मनोज कुमार, श्री नेतराम व परिवादी के भतिजे श्री अजय कुमार के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क " बी-1" व मार्क " बी-2" को पृथक-पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपडे़ की थैलीयों में पृथक-पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क " बी-1" व मार्क " बी-2" अंकित कर गवाहान एवं परिवादीगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क " बी-3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फोल्डर नं. 05 मे दिनांक 30.05.2024 को परिवादी व आरोपी श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी,

पटवार हल्का शाहपुर के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताऐं एवं फोल्डर नं. 01 में दिनांक 03.06.2024 को परिवादी के पाते श्री मनोज कुमार, परिवादी के भतिजे श्री अजय कुमार व आरोपी श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी, पटवार हल्का शाहपुर के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ताऐं रिकार्ड की हुई है। उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे, एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। दौराने कार्यवाही गिरफ्तारषुदा आरोपी श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी का जरिये तहरीर डयूटी डाक्टर, राजकीय राजीव गॉधी सामान्य चिकित्सालय, अलवर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रात्रि सुरक्षार्थ पुलिस थाना षिवाजी पार्क, अलवर की हवालात में बन्द करवाया। बाद कार्यवाही उक्त ट्रेप कार्यवाही मे जब्त/सील्डषुदा आर्टीकल्स को सील-मुहर करने हेतु उपयोग ली गई नमूना ब्राषसील को दिनांक 04.06.2024 को समय 01.30 ए0एम0 पर जरिये फर्द दोनों गवाहान एवं परिवादीगण के समक्ष तुडवाकर नष्ट किया गया। समय 02.00 ए0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त/शीलशुदा समस्त आर्टिकल्स, जब्तषुदा रिश्वती राशी 10 हजार रू0 को मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात समय 05.30 ए0एम0 पर ब्यूरो कार्यालय अलवर से रवाना होकर घटना स्थल पर जाकर घटना स्थल का मौका निरीक्षण कर परिवादी श्री मनोज कुमार की निशांदेही से नक्षा मौका मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया । बाद कार्यवाही मौके से मय हमराहियान के रवाना होकर परिवादी श्री नेतराम, मनोज कुमार व परिवादी के भतिजे श्री अजय कुमार को कस्बा बानसूर में ही छोड कर समय 09.30 ए0एम0 पर ए0सी0बी0 चौकी अलवर पहुंच कर दोनों गवाहान को ब्यूरों कार्यालय से रूकसत किया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से परिवादी श्री नेतराम की लिखित रिपोर्ट दिनांक 28.05.2024 पर आयोजित की गई ट्रैप कार्यवाही के दौरान उजागर हुये तथ्यो के आधार पर आरोपी श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी, पटवार हल्का, शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड द्वारा बैहसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर अपने लोक कर्त्तव्यों के निर्वहन मे भ्रष्टतम आचरण अपनाकर आरोपी श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी, पटवार हल्का, शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड द्वारा परिवादी श्री नेतराम व परिवादी के छोटे भाई श्री श्योराम के पक्ष में परिवादी के बडे भाई स्व0 श्री भूप सिंह के वारिसान (पत्नि, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, पौत्र) श्रीमती विद्या देवी वगैरा द्वारा ग्राम ओसपुर, पटवार हल्का, शाहपुर, तहसील बानसूर में स्थित अपनी पुश्तेनी कृषि भूमि खसरा नं0 364, 365 व 418 कुल खसरे 03, रकबा 2.6100 हैक्टेयर में से अपने सम्पूर्ण हिस्सा कुल रकबा करीब 1.2606 हैक्टेयर अर्थात 126.06 ऐयर भूमि का किये गये हकत्याग के दस्तावेज, जो उप पंजीयक बानसूर द्वारा दिनांक 21.05.2024 को पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 176 में पृष्ठ संख्या 32 क्रम संख्या 202403358101650 पर पंजीबद्ध किया गया है। उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज के अनुसार परिवादी श्री नेतराम वगैरा को हक त्याग से प्राप्त उक्त भूमि का नामान्तकरण परिवादी श्री नेतराम व परिवादी के भाई श्योराम के पक्ष में दर्ज करने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 30.05.2024 को परिवादी श्री नेतराम के पोते श्री मनोज कुमार से 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग करना एवं परिवादी से प्राप्त की गई 10 हजार रूपये की रिश्वत राशि दौराने ट्रेप कार्यवाही उक्त आरोपी श्री अनिल कुमार यादव की पहनी हुई काले रंग की पेन्ट के पीछे की दाहिनी साईड की जेब में रखे रैगजीन के ब्राउन कलर के पर्स से बरामद होने पर आरोपी श्री अनिल कुमार यादव, पटवारी, पटवार हल्का, शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री अनिल कुमार यादव पुत्र श्री सत्यवीर यादव, जाति अहीर, उम्र 29 साल, निवासी षिवराम की ढाणी, उधों का बास, तहसील व थाना बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड, हाल पटवारी, पटवार हल्का, शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड के विरूद्ध अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है। (महेन्द्र कुमार) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम, अलवर। .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर- प्रथम, अलवर , ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अनिल कुमार यादव पुत्र सत्यवीर यादव, हाल पटवारी, पटवार हल्का शाहपुर तहसील बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी परमेश्वर लाल उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर द्वितीय, हाल भिवाड़ी को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 52 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 543-46 दिनांक 04.06.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन

न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर। 2 जिला कलक्टर, कोटपूतली- बहरोड़। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PARAMESHWAR LAL YADAV **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/06/2024 18:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)